कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: - जी.डी.-I /

दिनांक

निविदा सूचना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) हेतु 01 स्टाफ कार ड्राईवर एवं 38 बहुकार्य कर्मचारीयो को बाह्य स्त्रोत के आधार पर ठेके पर लेने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

इस निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते इस कार्यालय की वेबसाइट (https://cag.gov.in/ae/rajasthan/en) तथा सी.पी.पी. पोर्टल पर उपलब्ध है।

हस्ता./-

व. उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: जी.डी.।/

दिनांक:

विषय:- 01 स्टाफ कार ड्राईवर एवं 38 बहुकार्य कर्मियों को बाह्य स्त्रोत पर ठेके पर रखने हेतु ।

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर को अपने कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 (अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025) तक 01 स्टाफ कार ड्राईवर एवं 38 बहुकार्य कर्मियों को बाह्य स्त्रोत पर ठेके पर लेने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु विभिन्न फर्मों से जो कि ऐसे कार्य में निपुण हो तथा विभिन्न सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालयों में ऐसी पूर्ति करती रही हो उनसे निविदाऐं आमंत्रित करता है । **निविदा में दरें प्रतिदिन के हिसाब से दिये गये प्रारूप में देनी होगी**

2. **निविदा की योग्यताऐं:-**

(i) फर्म अवश्य ही श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत/प्रमाणित हो तथा उसका कार्यालय परिसर जयपुर में हो ।

(ii) फर्म का अपना वैध PAN/TAN, BRN (Business Registration Number) तथा GST पंजीकरण प्रमाण पत्र हो ।

(iii) फर्म ESIC तथा EPFO प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हो ।

(iv) फर्म ने कम से कम 3 वर्ष का अनुभव सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त शाषी संस्थाओं में कार्य करते हुए प्राप्त किया हो । इस संबंध में सभी दस्तावेज साथ में संलग्न होने चाहिए ।

(v) फर्म श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए सक्षम हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करती हो ।

(vi) निविदा केवल GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी ।

बहुकार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.) एवं वाहन चालक के ठेके के सामान्य नियम एवं शर्ते

1. निविदा के साथ 2% की दर से रु. 2,35,000/-(दो लाख पैंतीस हजार मात्र) बतौर धरोहर राशि निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट (P&AO I.A.&A.D. Rajasthan Jaipur) के नाम से जमा करानी होगी | MSMEs को धरोहर राशि जमा कराने की छूट नियमानुसार प्रदान की जावेगी |
2. धरोहर राशि को साक्ष्य बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा साथ ही बिड की अंतिम तारीख/खोलने की तारीख से पांच दिन पूर्व मूल डी.डी.कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा |
3. जिस फर्म को टेंडर मंजूर नहीं होगा उसकी धरोहर राशि की रकम लौटा दी जावेगी | टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात यदि ठेकेदार अपने टेंडर से विमुख होगा या 5 दिन में प्रतिभूति जमा की रकम जमा नहीं कराएगा व अनुबंध नहीं भरेगा तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी | यदि आपके द्वारा अनबंध पूर्ण नही किया गया तो कार्यालय द्वारा GEM पर रेड मार्क (Red flag) किया जावेगा |
4. जिस फर्म का टेंडर मंजूर होगा उसे कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक़.) से सूचना मिलने के 3 दिन के अन्दर 10% की दर से रु. 11,50,000/-(रु. गयारह लाख पचास हजार मात्र) बतौर प्रतिभूति (P&AO I.A.&A.D. Rajasthan Jaipur) 15 माह के लिए कार्यालय में जमा करनी होगी |
5. फर्म का पंजीकृत कार्यालय जयपुर में होना चाहिए जिसका भौतिक सत्यापन किया जा सकता है |
6. **GEM पोर्टल पर आमंत्रित निविदा में संलगन EXCEL शीट पूर्णतया भरी होनी चाहिए अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा |**
7. फर्म को blacklist नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा |
8. फर्म को अपनी Escalation मैट्रिक्स (शिकायत निवारण तंत्र, टोल फ्री नंबर) बतानी होगी |
9. यदि कोई निविदादाता MSME श्रेणी होने के कारण कोई छूट चाहता है तो कृपया नवीनतम आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करे |
10. ठेकेदार, दैनिक दरें, निर्धारित प्रारूप में लागू केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए देनी होगी जो कि श्रम मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किये जाते है तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का प्रमाण मांगने पर देना होगा |
11. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे कर्मचारियों में में निम्न योग्यताए होनी चाहिए :-

a) <u>स्टाफ कार ड्राइवर</u>

I. कर्मचारी न्यूनतम 10वी.कक्षा उत्तीर्ण हो |
II. उसके पास मोटर कार चलाने का एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए |
III. उसके पास किसी सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त शाषी संस्था इत्यादि में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए |
IV. उसे मोटर मैकेनिज्म (छोटी-मोटी कमी को सही कर सके) का ज्ञान होना आवश्यक है |
V. उसे Navigation/GPS की जानकारी होनी चाहिए |
VI. कर्मचारी अच्छा व्यव्हार,स्व अनुशाशित, विनम्र होना चाहिए |

b) फर्म द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे बहुकार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.) के निम्नलिखित कार्य होंगे

I. कार्यालय के अनुभागों से संबंधित कार्य |

II. कार्यालय/विभाग की देखरेख वयवस्था |

III. कार्यालय के कमरों को खोलना एवं बंद करना |

IV. उद्धान, लॉन, पोधे वाले गमलों की देख रेख संबंधित कार्य |

V. कार्यालय फर्नीचर व अन्य सामान के रखरखाव संबंधित कार्य |

VI. कार्यालय/भवन के अंदर पत्रावलियों व अन्य कागजों को उठाने/लाने-लेजाने संबंधित कार्य |

VII. कार्यालय के बाहर डाक का वितरण कार्य |

VIII. कार्यालय अनुभागों में भौतिक रूप से अभिलेखों का संधारण कार्य |

IX. कार्यालय के अनुभागों में अभिलेखों/पत्रावलियों/रजिस्टरों की सिलाई/ बंडल बांधने सम्बंधित कार्य |

X. फोटोकॉपी एवं फैक्स का कार्य |

XI. कार्यालय अनुभागों में अन्य अलिपिकिये कार्य |

XII. अनुभागों में डायरी , प्रेषण एवं कंप्यूटर से सम्बंधित कार्य |

XIII. कार्यालय के संयंत्र/फर्नीचर व अन्य सामानों की देख रेख का कार्य |

XIV. कार्यालय वाहन को चलाने का कार्य (ड्राइविंग लाइसेंस जरुरी)

XV. कार्यालय से सम्बन्धित अन्य कार्यालय से बाहर के कार्य |

XVI. उक्त कार्यों के आलावा अधिकारीयों द्वारा बताये गए अन्य कार्य |

12. निविदा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए फर्म को बहुकार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.) /वाहन चालक का टेंडर प्रारंभ में एक साल की अवधि के लिए दिया जावेगा | कार्य संतोष जनक पाये जाने पर आपसी सहमती से अवधि बढाई जा सकती है |

13. कार्य दिवसों में बहुकार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.) एवं वाहन चालक का कार्य साधारणतया प्रातः 9 बजे से सांय 6:30 बजे तक होगा | एक माह में 26 कार्य दिवस होंगे |

14. निर्धारित समय पर आवंटित कार्य न करने पर हुई असुविधा के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा | इस संबंध में यदि कोई विवाद होगा तो वरि.उपमहालेखाकार (प्रशासन) का निर्णय अंतिम होगा जो ठेकेदार को मानना होगा |

15. ठेकेदार अपने अधीन कार्यरत कर्मचारी के सदव्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा,उचित वयवहार न करने वाले कर्मचारी की शिकायत मिलने पर काम से हटाना होगा | ठेकेदार अपने कर्मचारी को सर्दी/गर्मी वर्दी एवं आई.कार्ड देगा जिसे कार्यरत कर्मचारी ड्यूटी के दौरान पहना रहेगा जिससे उसके ठेकेदार का कर्मचारी होने का पता चल सके |

16. GST,EPF,ESIC etc. का भुगतान ठेकेदार को नियमानुसार करना होगा व इसका प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा |

17. ठेकेदार को अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा |

18. ठेकेदार को निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी सभी हिदायतों , आदेशों एवं GEM अनुबंध में शामिल समस्त शर्तों का अनुबंध में समावेश न होते हुए भी पालन करेगा| ठेकदार को पूर्व में की गया बहुकार्य का अनुभव प्रमाण पत्र केवल वही मान्य होंगे जो सरकारी कार्यालयों या संस्थाओं में कार्य करते हुए प्राप्त करते हुए हो तथा कितने आदमी कार्य पर लगाये इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में अवश्य होना चाहिए |

19. कोई भी पक्ष बिना कारण बताये एक माह का लिखित नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकेगा यदि एक माह का नोटिस दिए ठेकेदार बगैर ठेका छोड़ देता है तो उसकी समस्त जमा राशियाँ जब्त की जा सकेंगी |

20. इस ठेके के अंतर्गत किसी भी शर्त अथवा दावे के संबंध में कोई विवाद हो तो उसे महालेखाकार (लेखा. व हक़.) राजस्थान, जयपुर को विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा ओर उनका निर्णय अंतिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा |

21. फर्म निम्न प्रकार के अधिनियमों का पालन करेगी तथा किसी प्रकार की कमी होने पर स्वयं जिम्मेदार होगी :-

a) Contract Labor (Regulation & Abolition) Act, 1970.

b) Minimum Wages Act.

c) Workmen's Compensation Act.

d) Any other rules,regulation and/or statutes as may be applicable to them from time to time.

e) CODE on labour 2019

22. ठेकेदार अपने कर्मचारी के निवास स्थान का पूरा पता मय सबूत (आधार कार्ड एवं परिचय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) व कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर लिखित में देगा ताकि डाक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गए नोटिस पत्र या सूचना ठेकेदार को प्राप्त हो सके |

23. फर्म जिस कर्मचारी को कार्य पर रखेगी उनको कार्यालय के नियेमों का पालन करना होगा एवं पूर्ण गोपनीयता बरतनी होगी तथा कार्यालय की कोई सूचना किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नही देगा |

24. अनुबंध पर रखे जाने वाले कर्मचारी केवल और केवल ठेके के कर्मचारी होंगे | उनके साथ कार्यालय का कोई संबंध नहीं होगा तथा बाद में वह नियमित कर्मचारी होने का कोई दावा पेश नहीं करेगा |

25. ठेकेदार की प्रतिभूति की राशि ठेका समाप्त होने के तीन माह के बाद लौटाई जाएगी | ठेके की समाप्ति पर या ठेका की शर्त के प्रावधान की कार्यवाही के बाद प्रतिभूति की राशि अथवा बची हुई राशि ठेकेदार को उनके लिखित आवेदन पर लौटा दी जावेगी |

26. उक्त शर्तो के पालनार्थ ठेकेदार को 500/-रु. गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र/सहमति पत्र देना होगा

27. यदि ठेकेदार के कर्मचारी के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है या उसके खिलाफ कोई शिकायत पायी गयी तो उस कर्मचारी को उसी दिन कार्येस्थल से हटाकर अविलम्ब अन्य कार चालक को लगाना होगा तथा उस कर्मचारी की उस दिन की मजदूरी देय नहीं होगी |

28. फर्म को राशि का भुगतान प्रत्येक महीने दिनों के हिसाब से माह के 07 तारीख तक कर दिया जायेगा | इसके लिए उसको अपने कर्मचारी की मासिक उपस्थिति प्रत्येक महीने के अंत में प्रस्तुत करनी होगी |

29. ठेकेदार को आवश्यकतानुसार वाहन चालक की संख्या से दो तीन गुना प्रस्तावित चालक की सूची देगा, जिसमे से इस कार्यालय को चयन करने का अधिकार रहेगा |

30. भुगतान के समय Income Tax Act, 1961 के अनुसार समय समय पर TDS काटा जायेगा |

31. यदि यह प्रमाणित होता है की कार्यालय परिसर में आपके कर्मचारियों द्वारा कोई भी चोरी या सरकारी सम्पत्ति के साथ छेदछाड़ की गयी है तो आवशयक क़ानूनी कारवाही की जावेगी व हानि की राशि फर्म द्वारा वहन की जायेगी |

32. महालेखाकार (लेखा. व हक़.) राजस्थान जयपुर को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं |

33. फर्म के कर्मचारियों द्वारा यदि कार्यालय की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई फर्म से की जावेगी |

वरिष्ठ लेखाधिकारी / जी.डी.